प्रेस नोट 04.04.2021

थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत थानीदास पोखरे में मिले लापता बालक के शव मामलें का हुआ खुलाशा, घटना में संलिप्त अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के कम में आज दिनांक 04.04.2021 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर दरगाह मोड़ के पास से थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत थानीदास पोखरे में मिले लापता बालक के शव मामलें में प्रकाश में आया अभियुक्त राजा उर्फ बलवंत पुत्र रामवृक्ष निवासी सोनाडीह थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेलखनीय है कि दिनांक 18.03.2021 को थाना घोसी पर वादी चन्द्रशेखर पुत्र स्व0 रामपति निवासी सोनाडीह थाना घोसी द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया था कि वादी का लडका दिनांक 17.03.2021 को समय 1100 बजे से गायब है जिसकी तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 170/21 धारा 363 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। खोज बिन के बाद उक्त बालक का शव थानीदास पोखरे में मिला जिसका पोस्टमार्टम के दौरान हत्या की आशंका व्यक्त की गयी। विवेचना के दौरान उक्त गिरफ्तार अभियुक्त राजा उर्फ बलवंत पुत्र रामवृक्ष निवासी सोनाडीह थाना घोसी का नाम प्रकाश में आया जिसकी आज गिरफ्तारी की गयी।

पूछताछ में उक्त गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरी पत्नी मुझे वर्ष 2014 मे छोड़कर चली गयी थी जिसके कारण मे अकेलापन महसुस कर रहा था। उक्त बालक अधिकतर मेरे घर मोबाइल पर गेम खेलने आता था, दिनांक 17.03.2021 को मैने थोड़ी शराब पिया था मेरी बालक के प्रति निगाह गलत हुआ और उसको लेकर घर से सटा पोलेट्री फार्म में ले गया जहा उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगा विरोध करने पर मैने बगल में रखा बांस के टकड़े से बालक के सिर पर प्रहार कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। जब रात्रि में सभी लोग सो गये थे तभी में गेहु के खेत से होता हुआ शव को थानीदास पोखरे पर ले जाकर फेक दिया उक्त गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पर पोलेट्री फार्म के रूम में से घटना में प्रयुक्त बांस का टुकड़ा बरामद कर लिया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमें में धारा 302,201,377,511 भादवि0 व 5/6 पोक्सों एक्ट की बढ़ोत्तरी कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया।

एक अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ एक शातिर गिरफ्तार–

दिनांक 03.04.2021 को थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान सेचई नहर पुलिया के पास से गोलू यादव पुत्र विजय मुरारी यादव निवासी अब्दोपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ के कब्जे से एक अवैध तमंचा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 46/21 धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

55 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्ता गिरफ्तार–

दिनांक 03.04.2021 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान उसरी बैंक के सामने त्रिमुहानी के पास से राधिका पत्नी झारखण्डे सिंह निवासी चकतिउल्लाह उसरी बुजुर्ग थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के कब्जे से तीन जरिकेन में कुल 55 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर

गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्ता के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 96/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

महिला ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से दो दंपति साथ–साथ रहने को हुए राजी, 26 में से 11 मामलों का हुआ निस्तारण–

महिला ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक रविवार को पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन और सीओ मधुबन श्री अमित कुमार सिंह की अध्यक्षता हुई। इस दौरान ऐच्छिक ब्यूरो में कुल 26 मामले आए, जिसमें सदस्यों के प्रयास से 11 मामलों का निस्तारण हुआ। इसमें दो दंपति साथ–साथ रहने को तैयार हो गए, वही पांच मामलो में पक्षकारों के बीच सुलह न होने के चलते पत्रावली अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रसारित कर दी गई । तीन मामलों मे पक्षकारों ने सुलह के लिए समय की मांग किया। बैठक मे छह मामलों में एक– एक पक्ष तथा सात मामलों में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि 18 अप्रैल 2021 नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया ।

ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से दीपा शर्मा और सच्चिदानंद तथा अरविंद चौहान और प्रेमशीला ने आपसी मतभेद भुलाकर साथ साथ रहने को तैयार हो गए। वही सरोज यादव और रामसोच, इंदू देवी और प्रमोद कुमार, ईशाद अहमद और अकाम,रेखा देवी और डब्लू के मामले मे पक्षकारों के बीच कोर्ट मे मामला विचाराधीन होने ,पक्षकारों के लगातार अनुपस्थिति रहने के चलते पक्षकारों की सहमति से मामला निस्तारित कर दिया गया। वही बंदना और राजू, नीतू सिंह और अजय सिंह, संजी यादव और रामाश्रय, मीरा देवी और शैलेश कुमार गौतम तथा सरिता और रमेश कुमार के मामले मे पक्षकारों के बीच सुलह न होने के चलते पत्रावली अग्रिम कार्यवाही के लिए भेज दी गई। इस दौरान बंदना पांडेय और अवनीश, गीता और रामविलास तथा तान्या सिंह और अमित सिंह ने सुलह के लिए समय की मांग किया।

इस दौरान छह मामलों में एक– एक पक्षकार तथा सात मामलों में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि 18 अप्रैल 2021 नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। बैठक में ब्यूरो के सदस्यगण सर्वेश दूबे, विनोद कुमार सिंह,अर्चना उपाध्याय, मौलवी अरसद, डा.एमए खांन, महिला आरक्षी प्रीति दूबे ने अपना योगदान दिया। इस दौरान काफी संख्या में पक्षकार व उनके परिजन उपस्थित रहे।